संख्या-38/2017/1618/चौदह-4-2017-120/2015

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक, 25 अगस्त, 2017**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ''कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क ''योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-214/36-टी-46 (का0जू) दिनांक 17 अगस्त, 2017 तथा उक्त के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-610/7-4 (तितली पार्क/कानपुर जू0) दिनांक 17 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "कानपुर प्राणि उद्यान कानपुर में तितली पार्क" योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिड़ियाघर	
11-कानपुर प्राणि उद्यान कानपुर में तितली पार्क	
24-वृहत निर्माण कार्य	3000000
42- अन्य व्यय	1000000
योग-:-	4000000

(रू0 चालीस लाख मात्र)

1- **उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-**

http://shasanadesh.up.nic.in

2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहॉ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-214/36-टी-46(का0जू) दिनांक 17 अगस्त, 2017 एवं उक्त के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-610/7-4(तितली पार्क/कानपुर जू0)दिनांक 17 अगस्त, 2017 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ विषयगत योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का नियमित रूप से प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए कार्य प्रगति संबंधी आख्या एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8- परियोजना के अनुमोदन हेतु गठित अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 09.12.2016 में निर्धारित शर्तों एवं निर्देशों तथा अनुमोदित कार्यमदों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

9- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जाय।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

11- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण - पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।

14- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई समय पर निर्गत-रिंग विषयक समयटेण्ड-शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15- आवंटित धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रवृत्त समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

2- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 के क्रम में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-1618(1)/चौदह-4-2017-120/2015 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in